

# अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म०प्र०)

क्रमांक / अकादमिक / अ०म० / 2021 / 1048

रीवा, दिनांक 5.8.21

## अधिसूचना

आदेशानुसार, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 के अन्तर्गत शिक्षा संकाय अन्तर्गत शिक्षा एवं शारीरिक शिक्षा के अध्ययन मण्डल का गठन निम्नलिखित रूप से किया जाता है। अधिनियम की धारा 28(4) के अन्तर्गत अध्यापक, अध्ययन मण्डल की कार्यवाही इस अधिसूचना प्रसारण दिनांक से तीन वर्ष की होगी -

## शिक्षा / शारीरिक शिक्षा अध्ययन मण्डल


अधिनियम	28(2) एक	1	रिवत
	28(2) दो	1	डॉ० पंकजनाथ मिश्रा प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, शिक्षा, शाखा शिक्षा महाविद्यालय, रीवा (म०प्र०)
		2	डॉ० दीपा अग्निहोत्री, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, शिक्षा, शाखा शिक्षा महाविद्यालय, रीवा (म०प्र०)
	28(2) तीन	1	रिवत
	28(2) चार	1	डॉ० सुरेन्द्र त्रिपाठी, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, शिक्षा शाखा शिक्षा महाविद्यालय, रीवा (म०प्र०)
		2	डॉ० भरत कुमार विश्वकर्मा, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, शारीरिक शिक्षा, श्रीयुत महाविद्यालय, मनेव, रीवा (म०प्र०)
	28(2) पाँच	1	डॉ० छाया श्रीवास्तव, प्राचार्य, श्री रामाकृष्णा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, सतना (म०प्र०)
		2	डॉ० अरुण कुमार मिश्रा, सहायक प्राध्यापक, शिक्षा, श्रीयुत महाविद्यालय, मनेव, रीवा (म०प्र०)

अधिनियम 28(3) के अन्तर्गत डॉ० पंकजनाथ मिश्रा को शिक्षा / शारीरिक शिक्षा अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नाम निर्देशित किया जाता है।

  
कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. कुलाधिपति के प्रमुख सचिव, राजभवन भोपाल (म०प्र०)
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म०प्र०)
3. अध्ययन मण्डल के समस्त सदस्यगण।
4. संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य।
5. संकायाध्यक्ष, शिक्षा संकाय-रिवत।
6. कुलसचिव, मध्यप्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय।
7. निर्देशक, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमिक रविन्द्रनाथ ठाकुर मार्ग, भोपाल (म०प्र०)
8. कुलपति जी के सचिव / कुलसचिव के निज सहायक

  
सहायक कुलसचिव (अकादमिक)